R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 9
मार्च 2017

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

भुगतान और निपटान प्रणाली

आरबीआई ने भारत में पीपीआई जारी करने और उसके परिचालन पर राय मांगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 मार्च 2017 को ''भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों'' के मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। मास्टर निर्देशों को तैयार करने का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- देश में प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) जारी करने के लिए भुगतान प्रणालियों का संचालन करने वाली संस्थाओं के विनियमन, प्राधिकरण और पर्यवेक्षण के लिए एक ढांचा प्रदान करना;
- ग्राहक सुरक्षा और सुविधा के साथ खाते की सुरक्षा और सुरक्षा के विवेकपूर्ण तरीके से इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना।

टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400 001, को डाक द्वारा या ईमेल ppifeedbackrbi.org.in पर 15 अप्रैल 2017 को या उससे पहले भेजा जा सकता है। पहले टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया को 31 मार्च 2017 तक भेजा जाना था। मास्टर निर्देशों के डाफ्ट परिपत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

अर्द्ध-बंद और ओपन सिस्टम पीपीआई को जारी करने की पात्रता

बैंक, जो रिज़र्व बैंक के संबंधित नियामक विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों सहित, पात्रता मानदंडों का अनुपालन करते हैं, को भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सभी श्रेणियों के पीपीआई जारी करने की अनुमति होगी। हालांकि, तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केवल वह बैंक जो अपने ग्राहक को मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, को मोबाइल फोन-आधारित पीपीआई (उदाहरण के लिए, मोबाइल वॉलेट) जारी कर सकने की अनुमति होगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सहित अन्य संस्थाओं को मोबाइल फोन आधारित पीपीआई (उदाहरण के लिए, मोबाइल वॉलेट) सहित केवल अर्ध-बंद प्रणाली पीपीआई जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) से बचाव

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय अपने ग्राहक को जानो / एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवाद के वित्तपोषण पर जारी किए गए दिशानिर्देश, यथोचित परिवर्तनों सहित पीपीआई जारी करने वाली सभी संस्थाओं को लागू होगा। जैसा कि पीपीआई जारीकर्ता भुगतान प्रणाली का संचालन कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 के प्रावधान और उसके अंतर्गत तैयार किए गए नियम, जो समय-समय पर संशोधित हैं,भी पीपीआई जारीकर्ताओं को लागू होगे। इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं को आवश्यक प्रणालियों को अपनाना होगा। पीपीआई जारीकर्ता को उनके द्वारा जारी किए गए पीपीआई का उपयोग कर किए गए सभी लेनदेन का लॉग बनाए रखना होगा। यह आंकड़ा रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किए अनुसार रिज़र्व बैंक या किसी अन्य एजेंसी/ एजेंसियों द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जारीकर्ता फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया(एफआईयू-आईएनडी) में संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फाइल कर सकते हैं।

पीपीआई को जारी, लोडिंग और रीलोडिंग करना

रिजर्व बैंक द्वारा पीपीआई जारी करने के लिए अधिकृत सभी संस्थाओं को पीपीआई की अनुमत श्रेणी के आधार पर रीलोडेबल या नॉन-रीलोडेबल पीपीआई को जारी करने की अनुमति है। विभिन्न श्रेणियों के पीपीआई जारी करने के लिए और उनसे संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जारीकर्ता के पास बोर्ड की मंजूरी के साथ एक स्पष्ट रूप से निर्धारित नीति होनी चाहिए।

प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार

किसी भी पीपीआई का अधिकतम मूल्य, जहां विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ₹ 50,000 /- से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंकों और अधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं को कुछ प्रकार के अर्धबंद पीपीआई जारी करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि, (i) ग्राहक का न्यूनतम विवरण स्वीकार करके- ₹ 20,000 /- तक की पीपीआई; (ii) पूर्ण केवाईसी के साथ ₹ 1,00,000 /- तक की पीपीआई; प्रत्येक प्रकार के पीपीआई के लिए बताए गए अनुसार ग्राहकों की सावधानी के साथ।

बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किए गए अर्ध-बंद पीपीआई के मौजूदा न्यूनतम ब्यौरों और बैंकों द्वारा औपन सिस्टम पीपीआई जारी करने से संबंधित दिशा-निर्देशों के अलावा, मास्टर निर्देशों के प्रारूप में विशिष्ट श्रेणियों की पीपीआई जारी करने से संबंधित दिशा-निर्देशों के बारे में भी बताया गया है, जैसे प्रीपेड गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीपेड मील *इंस्ट्रूमेंट्स*; सीमा पार की आवक प्रेषण के लिए पीपीआई; मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए पीपीआई और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले मौजूदा विशिष्ट श्रेणियों के पीपीआई के मामले में कार्रवाई की जाएगी।

मास्टर निर्देशों पर ड्राफ्ट परिपत्र भी एकत्रित धन के नियोजन से संबंधित प्रमुख बदलावों को सूचीबद्ध करता है; पीपीआई की वैधता; पीपीआई का उपयोग कर माल और सेवाओं की खरीद पर लेनदेन की सीमा और मासिक कैप; सुरक्षा; ग्राहक सेवा और सुरक्षा संबंधी पहलुओं, जैसे कि लेनदेन की सुरक्षा और सुरक्षा प्रणाली; जोखिम कम करने के उपायों; शिकायत निवारण तंत्र; अप्रयुक्त शेष का जब्ती; धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं।

विषय सूची

	पृष्ठ
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• आरबीआई ने भारत में पीपीआई जारी करने और उसके परिचालन पर राय मांगी	1
आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर	2
वित्तीय समावेशन और विकास	
• वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के लिए नीति	2
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• हेजिंग निर्देशों में संशोधन	2
• सीमित देयता भागीदारी फर्म में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	3
• ई-कामर्स पर उप-विनियमों में अंतर्विष्ट किया गया	4
एसबीआई की सभी सहयोगी शाखाएं और बीएमबीएल 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी	3
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	
• स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	4
• केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन	4
• सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी	4

आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर

भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 मार्च 2017 को औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/एप स्टोर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है।

शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआईसीआर कोड, बैंक अवकाश और नीति दरों और चार प्रमुख मुद्राओं की संदर्भ दर सहित वर्तमान दरें-एप पर उपलब्ध कराई गई हैं। एप के लैंडिंग पेज के शीर्ष पर एक गतिशील विंडो है जो वैकल्पिक रूप से तीन सार्वजनिक जागरूकता संदेश - ₹ 2000 और ₹ 500 मूल्यवर्ग के नई डिज़ाइन के मुद्रा नोट, साथ ही ''आरबीआई कहता है'' श्रृंखला के तहत और केवाईसी पर आरबीआई का संदेश प्रदर्शित करता है। इनमें से किसी पर भी क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता जारी किए गए सार्वजनिक जागरूकता संदेश का पूरा पाठ खोल कर पढ़ सकता है। उपयोगकर्ता नई सूचनाओं पर अलर्ट प्राप्त करने के लिए 'पुश' नोटिफिकेशन फीचर को सक्रिय भी कर सकता है।

उपयोगकर्ता एप को और अधिक उपयोगी व दिलचस्प बनाने के लिए अपने सुझाव और फीडबैक को ई-मेल websitefeedbackrbi.org.in पर भेज सकते हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39797)

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर, भारत में जारी किए जाने वाले प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) जारी और परिचालन करने से संबंधित नीति निर्देशों वाले कई परिपत्र जारी किए हैं। प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता, सिस्टम पार्टिसिपेंट्स और अन्य सभी भावी प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ताओं को एक ही स्थान पर सभी मौजूदा निर्देशों को प्राप्त करने के लिए इन मास्टर निर्देशों को तैयार किया गया है।

जैसा कि 02 सितंबर, 2016 की प्रेस प्रकाशनी में बताया गया है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत पीपीआई के लिए भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से नए आवेदन प्राप्त करने को 28 फरवरी 2017 तक आस्थगित कर दिया गया था। अब अंतिम दिशानिर्देशों के जारी होने तक इसे आस्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10890Mode=0)
(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40005)

वित्तीय समावेशन और विकास

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के लिए नीति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की कानूनी मुद्रा स्थिति वापस लिए जाने और डिजिटल को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने जैसी हाल ही की गतिविधियों को देखते हुए एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा कैम्प आयोजित करने संबंधी नीति को 2 मार्च 2017 को निम्नानुसार संशोधित किया :

- वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) को सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) के माध्यम से डिजिटल को अपनाईए (गोईंग डिजिटल) पर विशेष कैम्प आयोजित करें। प्रशिक्षकों और श्रोताओं के लाभ के लिए दो पोस्टर, यूपीआई पर एक और *99# पर एक, तैयार किए गए हैं। डाउनलोड और मुद्रण करने के प्रयोजन से इन दो पोस्टरों का अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में वर्शन बैंक के वित्तीय शिक्षण वेबपेज पर उपलब्ध है। जहां प्रशिक्षकों द्वारा ए2 और ए3 आकार के पोस्टर का प्रयोग किया जा सकता है वहीं आम जनता में कैम्प के दौरान ए4 और ए5 आकार में पोस्टर वितरित किए जा सकते हैं।

गोईंग डिजिटल पर विशेष कैम्प आयोजित करने के अतिरिक्त एफएलसी विभिन्न लक्ष्य समूहों की आवश्यकतानुसार कैम्प आयोजित करना जारी रखेंगे। इस समय प्रत्येक लक्ष्य समूह की आवश्यकतानुसार सामग्री तैयार की जा रही है और ऐसी अपेक्षा है कि उसे यथा समय बैंकों/ एफएलसी के साथ साझा किया जाएगा।

- बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से प्रति माह केवल एक कैम्प (प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को शाखा के कार्य समय के बाद) आयोजित करना अपेक्षित है। इस कैम्प में ऐसे सभी संदेश जो वित्तीय जागरुकता संदेश (फेम) पुस्तक का भाग हैं और दो डिजिटल प्लैटफार्म यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) समावेशित होंगे।यदि गांव में दो या अधिक ग्रामीण शाखाएं हैं तो अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण शाखाएं प्रति माह बारी-बारी से कैम्प आयोजित करती हैं।

वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से निधियन सहायता

एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाएं वित्तीय साक्षरता कैम्प के लिए प्रति कैम्प रु. 15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन कैम्प के व्यय के 60 प्रतिशत की सीमा तक निधियन सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

उपर्युक्त दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होंगे और संशोधित रिपोर्टिंग फार्मेट 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही से लागू होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारियों (एलडीओ) द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्प के प्रभाव का निरंतर आधार पर आकलन/ मूल्यांकन किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं को सूचित किया गया था कि वे दो प्रकार के कैम्प जैसे वित्तीय प्रणाली में हाल ही में समावेशित लोगों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष कैम्प (प्रति माह एक) और पांच लक्ष्य समूह अर्थात किसान, लघु उद्यमकर्ता, स्कूली बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए प्रति लक्ष्य समूह विशेष एक-एक कैम्प आयोजित करें। वित्तीय प्रणाली में हाल ही में समावेशित लोगों के लिए विशेष कैम्प आयोजित करने की एक वर्ष की अवधि जनवरी 2017 में समाप्त हो गई है।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10869Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

हेजिंग निर्देशों में संशोधन

भारत में उत्पन्न होने वाले चालू खाते लेनदेन से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम के सामने बहुराष्ट्रीय संस्थाओं और उनके भारतीय सहायक कंपनियों को परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, 21 मार्च 2017 को रिजर्व बैंक ने मौजूदा हेजिंग दिशानिर्देशों में संशोधन किया। इसका उद्देश्य मल्टी-नेशनल कम्पनियों (एमएनसी) की भारतीय सहायक कंपनियों के चालू खाता लेनदेन से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम की रोकथाम करने के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों की बुकिंग के लिए परिचालनगत लचीलापन प्रदान करना था। अनिवासी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के लिए परिचालनगत लचीलेपन की प्रमुख विशेषताएं हैं:

उपयोगकर्ता

भारतीय सहायक कंपनी के अनिवासी अभिभावक या उसके केंद्रीकृत खजाने या उसके भारत के बाहर के क्षेत्रीय राजकोष

उत्पाद

सभी विदेशी मुद्रा- भारतीय रुपए (एफसीवाई-आईएनआर) डेरिवेटिव, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) और साथ ही एक्सचेंज कारोबार जो करने के लिए भारतीय सहायक कंपनी पात्र है।

हेजिंग के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

- इस सुविधा के तहत लेनदेनों को भारतीय सहायक कंपनी, उसके गैर-निवासी अभिभावक / कोषागार और एडी बैंक से जुड़े त्रि-पक्षीय समझौते के तहत कवर किया जाएगा। इस समझौते में भारतीय सहायक कंपनी या एंटीटी के संबंधित विदेशी संस्थाओं, पार्टियों से संबंध,संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और निपटान सहित लेनदेन की प्रक्रिया के साथ सटीक संबंध शामिल होंगे। एडी बैंक और गैर-निवासी संस्था के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्वैप और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) के समझौते इस समझौते से अलग होंगे।

- गैर-निवासी संस्था को उस देश में शामिल किया जाना चाहिए जिस वित्तीय कार्य टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या एफएटीएफ-स्टाइल क्षेत्रीय निकाय का वह देश सदस्य है।
- एडी बैंक अपने ग्राहक को जानिए / एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (केवायसी / एएमएल) प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।
- गैर-निवासी संस्था एडी संवर्ग-ख बैंक से सीधे संपर्क कर सकती है जो उसके सहायक कंपनी के लिए और उसकी ओर से डेरिवेटिव अनुबंधों की बुकिंग के लिए मुद्रा जोखिम की रोकथाम करते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेनों को संभालता है।
- गैर-निवासी इकाई अनुबंधित मार्ग के तहत या पिछले प्रदर्शन के आधार पर किसी भी उत्पाद का अनुबंध कर सकती है, जिसके लिए भारतीय सहायक कंपनी पात्र है।
- भारतीय सहायक कंपनी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी।
- हेज लेनदेन के लाभ/नुकसान का बैंक खाते में और भारतीय सहायक कंपनी के खातों की पुस्तकों में निपटान किया जाएगा। एडी बैंक भारतीय सहायक कंपनी से अपने वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस आशय के लिए वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- संबंधित एडी बैंक अनिवासी संस्था द्वारा बुक किए गए सभी हेज लेनदेन (ओटीसी तथा विनिमय कारोबार) की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय उपकंपनी में हेज लेनदेन के लिए आवश्यक अंतर्निहित एक्सपोज़र है।
- एडी बैंक इस सुविधा के तहत दर्ज किए गए हेज कॉन्ट्रैक्ट्स को अनिवासी संबंधित संस्था द्वारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के व्यापार भंडार को विशेष पहचान पत्र के साथ रिपोर्ट करेंगे।

(Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10891Mode=0)

सीमित देयता भागीदारी फर्म में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मार्च 2017 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) में निम्नलिखित संशोधन किए :-

सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई - एलएलपी)

पात्र निवेशक

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक से भिन्न) अथवा भारत से बाहर निगमित कोई एंटीटी (पाकिस्तान और बांग्लादेश की एंटिटी से भिन्न) जो कि सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (आरएफपीआई) अथवा विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अथवा विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक नहीं है, पूंजीगत अंशदान के माध्यम से अथवा सीमित देयता भागीदारी फ़र्मों (एलएलपी) के पूंजीगत ढांचे में शेयरों से प्राप्त लाभार्जन के अधिग्रहण/ अंतरण के जरिए योगदान करते हुए विदेशी निवेश कर सकते हैं।

किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कुछ शर्तों के अधीन योजना के अंतर्गत पात्र निवेश होगा।

कीमत निर्धारण

पूंजी में अंशदान अथवा शेयरों के लाभार्जन अंतरण के मार्फत एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हेतु कीमत निर्धारण किसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गयी प्रणाली/ बाज़ार व्यवहार के अनुसार स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार आकलित उचित मूल्य से अधिक अथवा उसके समान होगा (इसे इसके पश्चात ''पूंजी अंशदान का उचित मूल्य / एलएलपी का शेयर लाभार्जन'' कहा गया है।) और इस आशय का प्रमाणपत्र किसी सनदी लेखाकार अथवा पेशेवर कॉस्ट एकाउंटेंट अथवा केंद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा।

किसी निवासी से किसी अनिवासी को पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभर्जन के अंतरण के मामले में, एलएलपी के पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभर्जन के लिए प्रतिफल 'उचित मूल्य' के समान अथवा उससे अधिक होगा। इसके अलावा, किसी अनिवासी से निवासी को पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभर्जन के अंतरण हेतु प्रतिफल एलएलपी के पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभर्जन के उचित मूल्य से कम अथवा समान होगा।

भुगतान का तरीका

निवेशक द्वारा एलएलपी के पूंजी अंशदान के लिये भुगतान (i) बैंकिंग चैनल से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार संबंधित व्यक्ति के किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास रखे एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते को डेबिट करके किया जाएगा !

रिपोर्टिंग

(i) एलएलपी में किए गए विदेशी निवेश और निवासी और अनिवासियों के बीच पूंजी में अंशदान तथा शेयर-लाभार्जन के विनिवेश/ अंतरण संबंधी रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समयसमय पर यथानिर्धारित तरीके से की जाएगी।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू से संबंधित स्वामित्व का विवरण और अन्य ब्यौरे

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	संपादक,प्रकाशक और	: अल्पना किल्लावाला
	मुद्रक का नाम,राष्ट्रीयता	: मुंबई
	और पता	: भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई- 400001
	व्यक्तियों के नाम व पते जो अखबार के मालिक हैं	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई- 400001

में,अल्पना किल्लावाला,घोषित करती हूं कि उपरोक्त दिए गए विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

हस्ता./-
अल्पना किल्लावाला
प्रकाशक के हस्ताक्षर
दिनांक: 1 मार्च 2017

एसबीआई की सभी सहयोगी शाखाएं और बीएमबीएल 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी

एसबीआई की सभी सहयोगी शाखाएं अर्थात स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के जमाकर्ता एवं ग्राहक, 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक माने जाएंगे।

भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर अधिग्रहण आदेश 2017, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद अधिग्रहण आदेश 2017, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अधिग्रहण आदेश 2017, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला अधिग्रहण आदेश 2017 और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर अधिग्रहण आदेश 2017 जारी किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 22 फरवरी 2017 के आदेशों को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है जिसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 35 की उप-धारा (2) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई।

भारत सरकार ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड अधिग्रहण आदेश 2017 जारी किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 20 मार्च 2017 के आदेश को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है जिसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 (1955 का 23) की धारा 35 की उप-धारा (2) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड अधिग्रहण को मंजूरी दी गई।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39915)
(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39884)

(ii) चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष (वर्षों) में विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली सभी एलएलपी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ''विदेशी देयताओं और संपत्ति संबंधी वार्षिक विवरणी'' नामक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के जुलाई महीने की 15 तारीख को या उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करनी होंगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10876Mode=0)

ई-कामर्स पर उप-विनियमों में अंतर्विष्ट किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 मार्च 2017 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में संशोधित करते हुए निम्नलिखित उप-विनियमों को अंतर्विष्ट किया :-

- 'ई-कामर्स' का अभिप्राय डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद सहित माल और सेवाओं की खरीद और बिक्री से है।
- 'ई-कामर्स एंटिटी' का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के अंतर्गत आने वाली विदेशी कंपनी अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(v)(iii) में यथा उपबंधित भारत में कोई कार्यालय अथवा शाखा अथवा एजेंसी से है जो भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है और ई-कामर्स का कारोबार करती/करता है।
- 'ई-कामर्स के इन्वेंटरी आधारित माडल' का अभिप्राय उस 'ई-कामर्स' गतिविधि से है जहां माल की इन्वेंटरी और सेवाएं 'ई-कामर्स एंटिटी' द्वारा स्वाधिकृत हैं तथा उपभोक्तओं को सीधे बेची जाती हैं।
- 'ई-कामर्स के मार्केट प्लेस आधारित माडल' का अभिप्राय क्रेता और बिक्रेता के बीच सहूलियतकर्ता की भूमिका अदा करने के लिए किसी 'ई-कामर्स एंटिटी' द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर सूचना प्रोद्योगिकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने से है।''

अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, मौजूदा विनियम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

ई-कामर्स	ईक्विटी/एफडीआई कैप का %	प्रवेश मार्ग
बी टू बी ई-कामर्स गतिविधियां	100%	स्वचालित
ई-कामर्स का मार्केट प्लेस माडल'	100%	स्वचालित

ऐसी कंपनियां केवल बिजनेस टू बिजनेस (बी टू बी) ई-कामर्स कारोबार करेंगी और फुटकर व्यापार में संलग्न नहीं होंगी, इसका तात्पर्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि घरेलू व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध उसी प्रकार ई-कामर्स पर लागू होंगे।

अन्य शर्तें

- डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क्स, टेलीविज़न चैनल्स और वेब पेजेस, एक्स्ट्रानेट्स, मोबाइल्स, आदि जैसे स्वचालित रूप में प्रयुक्त होने वाले अन्य इंटरनेट एप्लीकेशन शामिल होंगे।
- मार्केट प्लेस ई-कामर्स एंटिटी को अपने प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड बिक्रेताओं के साथ बी-टू-बी आधार पर लेनदेन करने की अनुमति होगी।
- ई-कामर्स मार्केट प्लेस बिक्रेताओं को वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक्स, आर्डर पूरा करने, काल सेंटर, भुगतान वसूली और अन्य सेवाओं के लिए पूरक (सपोर्ट) सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।
- मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने वाली ई-कामर्स एंटिटी इन्वेंटरी अर्थात बिक्री किए जाने वाले माल/की जाने वाली वस्तुओं पर स्वत्वाधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। इन्वेंटरी पर इस प्रकार स्वत्वाधिकार का प्रयोग करने से कारोबार इन्वेंटरी आधारित माडल में तब्दील हो जाएगा।
- कोई ई-कामर्स एंटिटी अपने मार्केट प्लेस से एक वेंडर अथवा अपनी समूह कंपनियों के मार्फत वित्तीय वर्ष के आधार पर 25% से अधिक की बिक्री होने की अनुमति नहीं देगी।
- वेबसाइट पर इलेक्ट्रानिकली बिक्री के लिए माल/सेवाओं को उपलब्ध कराते समय बिक्रेता का नाम, पता और अन्य संपर्क संबंधी ब्योरे स्पष्टत: दिए जाने चाहिए। बिक्री के बाद, ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी एवं ग्राहक संतुष्टि के लिए बिक्रेता जिम्मेदार होगा।
- बिक्री के लिए भुगतान की सहूलियत ई-कामर्स एंटिटी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दी जाएगी।
- बेचे गए माल/बेची गई वस्तुओं और सेवाओं की वारंटी/गारंटी के लिए बिक्रेता जिम्मेदार होगा।
- मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने वाली ई-कामर्स एंटिटीज़ माल अथवा सेवाओं के बिक्रय मूल्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित नहीं करेंगी तथा कारोबार करने के लिए समान अवसर बरकरार रखेंगी।

नोट: इन्वेंटरी आधारित ई-कामर्स के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

संशोधन के अनुसार सेक्टर विशेष संबंधी शर्तों, लागू विधियों/विनियमों, सिक्युरिटी एवं अन्य शर्तों के तहत ई-कामर्स के जरिए सेवाओं की बिक्री स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10884Mode=0)

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

रिपोर्टिंग, समाधान और लेखांकन में एकरूपता बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने 6 मार्च 2016 को, एजेंसी बैंकों को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के लेनदेनों अर्थात् प्राप्तियाँ, भुगतान, दण्ड, ब्याज, संग्रहण हेतु कमीशन, हैंडलिंग प्रभार आदि की जानकारी लोक भविष्य निधि(पीपीएफ) योजना, 1968 की तरह दैनिक आधार पर केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में इस प्रयोजन से रखे गए सरकारी खाते के माध्यम से सीधे प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया है। अत: आवेदक कृपया तुरंत प्रभाव से स्वर्ण मौद्रीकरण योजना संबंधी लेनदेनों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु हमारे केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10877Mode=0)

केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन

भारत सरकार से परामर्श के बाद 16 मार्च 2017 को रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार लेखों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के अवशिष्ट लेनदेनों के समापन की मार्च 2017 माह की तारीख वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 10 अप्रैल 2017 होगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 की आगामी सरकारी लेखाबंदी को ध्यान में रखते हुए, आप कृपया अपनी शाखाओं को सूचित करें कि प्राप्तकर्ता शाखाओं में विशेष संदेशवाहक व्यवस्था जैसे कूरियर सेवा आदि प्रारंभ करें, जो प्राप्तकर्ता शाखाएं स्थानीय नहीं हैं, वहाँ पर भी नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं में चालान/स्क्रॉल आदि पारित करने के लिए कूरियर सेवा आदि जैसी विशेष व्यवस्था की जाए ताकि मार्च के अंत तक सरकार के लिए किए गए सभी भुगतान और संग्रह उसी वित्तीय वर्ष में लेखांकित किए जा सकें। विशेष संदेशवाहक व्यवस्था के संबंध में अनुदेश कृपया सभी संबंधित शाखाओं को सूचित किया जाए।

संक्षेप में, नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं से अपेक्षित होगा कि वे इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग स्क्रॉल बनाएं अर्थात् मार्च के अवशिष्ट लेनदेन के लिए पहला और अप्रैल 2017 माह के पहले 10 दिनों के लेनदेन के लिए दूसरा। नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 31 मार्च 2017 तक प्राप्तकर्ता शाखाओं में किए गए सभी लेनदेनों(राजस्व/कर संग्रहण/भुगतान) से संबंधित खाते वर्तमान वित्तीय वर्ष के खातों में ही प्रभावी कर दिए जाएं और इन्हें अप्रैल 2017 के लेनदेन के साथ मिलाया न जाए। साथ ही मार्च 2017 के लेनदेन को 10 अप्रैल 2017 तक रिपोर्ट करते समय, अप्रैल 2017 के लेनदेन को ''मार्च के बकाया लेनदेन'' के साथ मिलाया न जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10885Mode=0)

सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी

भारत सरकार से परामर्श के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 मार्च 2017 को सूचित किया है कि बैंकों के साथ होने वाले सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसी बैंक सरकारी व्यवसाय करने वाली अपनी नामित शाखाओं के काउंटर 30 मार्च 2017 को रात में 6.00 बजे तक और 31 मार्च 2017 को रात में 8.00 बजे तक खुला रखेंगें। तथापि सभी इलेक्ट्रानिक लेनदेन 31 मार्च 2017 को रात में 12.00 बजे तक किए जाते रहेंगे। बैंक इस प्रकार की गई विशेष व्यवस्था का पर्याप्त रूप से प्रचार करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10886Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।